हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No:- FFE-B-F002/46/2024 **Dated Shimla-171002, the** 19-12- **2024**

ORDER

Subject:- **Diversion of 3.0506 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Charwadhar to Gram Gouncha road (kms. 0/00 to 4/00), within the jurisdiction of Chopal Forest Division, Distt. Shimla, H.P. (Proposal No. FP/HP/Road/26257/2017).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़, उप कार्यालय, शिमला, द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी / एच.पी. / 06 / 46 / 2019 / एफ.सी.(ई) दिनांक 03 / 10 / 2023 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **3.0506** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

iii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों / पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

iv. **राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 6.50 है0 UPF Bhabia and DPF Gouncha पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।**

v. **प्रतिपूर्ति पौधारोपण भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**

vi. CEO, State CAMPA, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

DFO(FCA)

APCCF(FCA)

प्र.मु.अ.पा (वन बल) हि.प्र. पावती सं 3659 दिनांक 30/12/24

C.O. Anyne

PCCF(HOFF) 24/12/2024

vii. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे और MoEF & CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित CA Sites को नही बदलेंगे।

viii. **राज्य वन विभाग प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तांतरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।**

ix. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

x. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य वन विभाग बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

xi. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह–समाप्ति होगी।

xii. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

xiii. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति–अवरोधक लगाए जाएंगे।

xiv. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों जहां जहां संभव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी।

xv. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे।

xvi. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

xvii. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केन्द्रिय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

xviii. केन्द्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।

xix. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।

xx. अन्य कोई भी शर्त भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, उप कार्यालय शिमला द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।

xxi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

xxii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.21** एवं Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.16** के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।

xxiii. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य वन विभाग की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। **वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।**

आदेशानुसार,

कमलेश कुमार पंत, भा0प्र0से0
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated, Shimla – 171002 19-12- 2024

Copy is forwarded for information and necessary action to: -

1. The Director General of Forests (R.O.H.Q.), Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003.
2. The Deputy Inspector General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Sub-Office, Shimla (Regional Office Chandigarh), C.G.O. Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr. CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 w.r.t. his letter No. Ft. 48-3600/2017 (FCA) dated 31-08-2024 for similar necessary action.
5. The CEO, H.P. State CAMPA, O/o Pr. CCF (HoFF), H.P., Shimla-171001.
6. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
7. The Divisional Forest Officer, Chopal Forest Division, Distt. Shimla, H.P.
8. The Executive Engineer, HPPWD, Chopal Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
9. Guard file.

Signed by
Saurabh Jassal
Date: 19-12-2024 17:20:09

Special Secretary (Forest) to the
Government of Himachal Pradesh

****

3

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No:- FFE-B-F002/46/2024 **Dated Shimla-171002, the** 19-12-2024

ORDER

Subject:- **Diversion of 5.18 ha of forest land for construction of Shanad to Shrikot motor road Kms 0/00 to 9/700 in favour of HPPWD, within the jurisdiction of GHNP Shamshi Wildlife Division, Distt. Kullu, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Road/28594/2017).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़, उप कार्यालय, शिमला, द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/106/2019/एफ.सी. दिनांक 28/12/2023 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **5.18** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

iii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

iv. **राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 10.36 है0 वन भूमि, Survey No.-53E/6/SW Nohanda IIIrd UPF, Tirthan Wildlife Forest Range, GHNP, Shamshi Forest Division पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।**

v. **प्रतिपूर्ति पौधारोपण भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**

vi. CEO, State CAMPA, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

DFO (FCA)
PCCF (FCA)
26/12/24
Anyone for n/a.

प्र.मु.अ.पा (वन बल) हि.प्र. पावती सं. 3662 दिनांक 30/12/24

vii. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे और MoEF & CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित CA Sites को नही बदलेंगे।

viii. **राज्य वन विभाग प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तांतरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।**

ix. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

x. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य वन विभाग बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

xi. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह–समाप्ति होगी।

xii. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।

xiii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे।

xiv. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

xv. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति–अवरोधक लगाए जाएंगे।

xvi. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे।

xvii. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

xviii. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केन्द्रिय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

xix. केन्द्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।

xx. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।

xxi. अन्य कोई भी शर्त भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, उप कार्यालय शिमला द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।

xxii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

xxiii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.21 एवं** Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.16** के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।

xxiv. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य वन विभाग की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। **वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।**

आदेशानुसार,

कमलेश कुमार पंत, भा0प्र0से0
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated, Shimla – 171002 19-12- 2024

Copy is forwarded for information and necessary action to: -

1. The Director General of Forests (R.O.H.Q.), Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003.
2. The Deputy Inspector General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Sub-Office, Shimla (Regional Office Chandigarh), C.G.O. Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr. CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 w.r.t. his letter No. Ft. 48-3600/2017 (FCA) dated 31-08-2024 for similar necessary action.
5. The CEO, H.P. State CAMPA, O/o Pr. CCF (HoFF), H.P., Shimla-171001.
6. The Deputy Commissioner Kullu, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.
7. The Divisional Forest Officer, GHNP Shamshi Wildlife Division, Distt. Kullu, H.P.
8. The Engineer-in-Chief, HPPWD, Nirman Bhawan, Nigam Vihar, Shimla, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
9. Guard file.

Signed by
Saurabh Jassal
Date: 19-12-2024 17:18:57
Special Secretary (Forest) to the
Government of Himachal Pradesh

****

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No:- FFE-B-F002/46/2024 Dated Shimla-171002, the 19-12- 2024

ORDER

Subject:- **Diversion of 2.8054 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kun Kamlah via Tourkhola Road (kms. 0/0 to 7/105), within the jurisdiction of Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Road/9680/2015).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़, उप कार्यालय, शिमला, द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/30/2018/एफ.सी. दिनांक 28/12/2023 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **2.8054** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

iii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

iv. **राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 6 है0 वन भूमि, Block/compartment/Survey No.-53/9, DPF Bakari, Kamlah Forest Range, Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।**

v. **राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पेनल (Penal) सीए योजना के अनुसार 3.4 है0 वन भूमि, Block/compartment/Survey No.-53/9, DPF Bakari, Kamlah Forest Range Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोंग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।**

DFO (FCA)
C.O. Anjna
APCCF (FCA)
PCCF (HOFF) 24/12/2024

पावती सं 3664
दिनांक 30/12/24

vi. **प्रतिपूर्ति पौधारोपण भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**

vii. CEO, State CAMPA, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

viii. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे और MoEF & CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित CA Sites को नही बदलेंगे।

ix. **राज्य वन विभाग प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तांतरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।**

x. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

xi. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य वन विभाग बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

xii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह–समाप्ति होगी।

xiii. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।

xiv. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे।

xv. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

xvi. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति–अवरोधक लगाए जाएंगे।

xvii. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों जहां जहां संभव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी।

6

xviii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे।

xix. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

xx. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केन्द्रिय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

xxi. केन्द्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले–आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।

xxii. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।

xxiii. अन्य कोई भी शर्त भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, उप कार्यालय शिमला द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।

xxiv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

xxv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.21 एवं** Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.16** के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।

xxvi. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य वन विभाग की ज़िम्मेवारी होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। **वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।**

आदेशानुसार,

कमलेश कुमार पंत, भा0प्र0से0
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated, Shimla – 171002 19-12-2024

Copy is forwarded for information and necessary action to: -

1. The Director General of Forests (R.O.H.Q.), Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003.
2. The Deputy Inspector General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Sub-Office, Shimla (Regional Office Chandigarh), C.G.O. Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr. CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 w.r.t. his letter No. Ft. 48-3600/2017 (FCA) dated 31-08-2024 for similar necessary action.
5. The CEO, H.P. State CAMPA, O/o Pr. CCF (HoFF), H.P., Shimla-171001.
6. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.
7. The Divisional Forest Officer, Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, H.P.
8. The Engineer-in-Chief, HPPWD, Nirman Bhawan, Nigam Vihar, Shimla, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
9. Guard file.

Signed by
Saurabh Jassal
Date: 19-12-2024 17:20:43
Special Secretary (Forest) to the
Government of Himachal Pradesh

****

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No:- FFE-B-F002/46/2024 **Dated Shimla-171002, the** 19-12- **2024**

ORDER

Subject:- **Diversion of 1.6601 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Bhattakufar Jawala Mata Mandir road to IGMC 2nd Phase 0/0 to 1/600 Km, within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/147806/2021).**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड, शिमला, द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या एफ सी/एच.पी.बी./06/58/2021 दिनांक 27/06/2023 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.6601** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
   (क)प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 3.40 हे0 वन भूमि U-396 Balghar, paralighoond Beat, Ghoond Block, Balson Forest Range, Theog Forest Division में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।
   (ख) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 2.80 हे0 वन भूमि **U-14, Bhajji (Sunni) Forest Range, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh में दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें**
4. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 08-02-2023, in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India & Ors.
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

DFO (FCA)

APCCF (FCA)

C.O Anyne for n/a

PCCF (HOFF) 24/12/2024

प्र.मु.अ.पा (वन बल) हि.प्र. पावती सं 3698 दिनांक 30/12/24

6. The State Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. The copy of compliance for the same along with documentary evidence be provided to the office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla.
7. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 277 पेड़ों (257 trees and 20 saplings) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण पेडों की कटाई की लागत वन विभाग के पास जमा करेगा।
8. The State Forest Department shall constitute a Committee comprising Range Officer and Site Engineer In-charge and headed by the DFO concerned. The Committee shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the RoW after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO Shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. He will submit a list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained within a period of two(2) months after execution of the project.
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों जहां–जहां सम्भव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी।
12. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति–अवरोधक लगाए जाएंगे।
13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

16. संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward, Backward bearing अंकित हो।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
20. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपर्युक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर विद्यमान कुल 58 पेड़ों (51 trees and 07 saplings) में से किसी भी पेड़ का पातन नहीं किया जाएगा।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य वन विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।
24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 **एवं** Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.16** के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। **वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।**

आदेशानुसार,

कमलेश कुमार पंत, भा0प्र0से0
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated, Shimla – 171002 19-12- **2024**

Copy is forwarded for information and necessary action to: -

1. The Director General of Forests (R.O.H.Q.), Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003.
2. The Deputy Inspector General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Sub-Office, Shimla (Regional Office Chandigarh), C.G.O. Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Regional Officer, Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla , Himachal Pradesh-171001.
4. The Pr. CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
5. The Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 w.r.t. his letter No. Ft. 48-3600/2017 (FCA) dated 31-08-2024 for similar necessary action.
6. The CEO, H.P. State CAMPA, O/o Pr. CCF (HoFF), H.P., Shimla-171001.
7. The Deputy Commissioner Shimla , Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
8. The Divisional Forest Officer, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, H.P.
9. The Engineer-in-Chief, HPPWD, Nirman Bhawan, Nigam Vihar, Shimla, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
10. Guard file.

Signed by
Saurabh Jassal
Date: 19-12-2024 17:15:34
Special Secretary (Forest) to the
Government of Himachal Pradesh

****